


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सी.एस. चौहान, गाँव जैतपुरा, पोस्ट-सेन्दड़ा, तहसील-रायपुर, जिला-पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :- 04/2022 जीसीएमएस नं. :- 2022/6 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.02.2022</p>	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित । 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 23.08.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोंडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोंडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2022/19 दिनांक 31.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैतपुरा के शमशान हेतु आंवटन भूमि का खसरा नंबर 399 /1 में गै.मु. शमशान के रिकॉर्ड में अंकन एवं तरमीम से संबंधित सूचना चाही गई थी। उक्त खसरा नंबर की तरमीम कर नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया है जिसकी जमाबंदी की प्रति इस न्यायालय को भिजवाते हुए उक्त पत्र की मूल प्रति अपीलार्थी को प्रेषित कर अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोंडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। <p style="text-align: center;">  नमित मेहता प्रथम अपीलार्थी अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली </p>	